बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—::संकल्प::—

/पटना, दिनांक :—

श्री विनोद कुमार प्रभाकर, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, नवगछिया अंतर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत निर्माणाधीन दो पथों यथा बसगढ़ा से परवत्ता से जठगोविन्द पथ एवं L025-T01 रामवृक्ष वासा छट्टू सिंह टोला से कमलाकुण्ड भाया इस्माईलपुर पथ के संदर्भ में राज्य गुणवत्ता समन्वयक, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन दिनांक 08.08.2019 के आलोक में कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि क्रमशः 10.11.2017 एवं 17.06.2017 के लगभग दो वर्ष बाद भी जाँच की तिथि 29.07.2019 को कार्य पूर्ण नहीं कराने के आरोप में आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 1081 अनु0 दिनांक 10.06.2020 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री प्रभाकर से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 23.03.2021 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए वृहत जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तदोपरान्त विभागीय अधिसूचना सं0—200 सह—पठित ज्ञापांक 201 दिनांक 23.01.2024 द्वारा जाँच की कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता—2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी के रूप में तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता—4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

3. मुख्य अभियंता—2—सह—संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 304 अनु0 दिनांक 22.04.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री प्रभाकर के विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन में आरोप के संदर्भ में प्रतिवेदित निष्कर्ष निम्नवत हैं:—

श्री प्रभाकर ने अपने बचाव बयान में उल्लेख किया है कि बसगढ़ा से परवत्ता से जठगोविन्द पथ में पूर्व के सहायक अभियंता द्वारा Ist to 6th on A/C Bill तक का कार्य किया गया था। तत्पश्चात् उनके पर्यवेक्षण अन्तर्गत किये गये कार्यो का मापी 7th on A/C Bill दिनांक 30.07.2017. 8th on A/C Bill दिनांक 12.01.2018 एवं 9th on A/C Bill दिनांक 22.10.2018 का कार्य हुआ है। L025–T01 रामवृक्ष बासा छठु सिंह टोला से कमलाकुंड भाया इस्माईलपुर प्रखंड पथ में पूर्व के सहायक अभियंता, अशोक कुमार द्वारा 1st to 7th on A/C Bill 30.05.2017 तक बनाया गया है। श्री प्रभाकर द्वारा बचाव बयान के साथ साक्ष्य स्वरूप संलग्न संबंधित MB से इनके बचाव बयान की संपुष्टि होती है।

श्री प्रभाकर द्वारा बसगढ़ा से परवत्ता से जठगोविन्द पथ में 11 विपत्र के विरूद्ध केवल तीन चालू विपत्र एवं L025– T01 रामवृक्ष बासा छठु सिंह टोला से कमलाकुंड भाया इस्माईलपुर प्रखंड पथ में 10 विपत्र के विरूद्ध केवल एक चालू विपत्र का कार्य किया गया है।

इसके अतिरिक्त श्री प्रभाकर ने अपने बचाव बयान में भूमि विवाद एवं बाढ़ के कारण भी कार्य में विलंब होने का उल्लेख किया है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया के पत्रांक 755 अनु0 दिनांक 08.06.2020 से स्पष्ट है कि बसगढा परवत्ता से जठगोविन्द पथ का कार्य विलम्ब से पूर्ण होने का कारण जमीन विवाद एवं भैनापुल का क्षतिग्रस्त होना है एवं इनके पत्रांक 633 दिनांक 18.07.2017, पत्रांक 968 दिनांक 20.08.2018 एवं अंचलाधिकारी, इस्माईलपुर के पत्रांक 832 दिनांक 25.08.2018 से स्पष्ट है कि L025–T01 रामवृक्ष बासा छठु सिंह टोला से कमलाकुंड भाया इस्माईलपुर प्रखंड पथ में कार्य विलम्ब से पूर्ण होने का कारण रैयती जमीन एवं बाढ है।

अतः उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री प्रभाकर के विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित माना जा सकता है।

4. श्री प्रभाकर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, बचाव बयान एवं जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस मामले में मुल रूप से निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत की गयी थी, जो राज्य गुणवत्ता समन्वयक के जॉच प्रतिवेदन में सही नहीं पाया गया। अंततः समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने के लिए श्री प्रभाकर से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री प्रभाकर उक्त कार्य प्रमंडल में दिनांक 08.07.2017 से पदस्थापित हुए हैं। इनके द्वारा प्रथम योजना में 7^{th} on A/C Bill से तथा दूसरे योजना में 8^{th} on A/C Bill से मापी पर हस्ताक्षर किया गया है। जॉच पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही में इन्हें विलंब के लिए दोषी नहीं पाया है।

5. समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रभाकर को दोषमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री विनोद कुमार प्रभाकर, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी को प्रश्नगत मामले में दोषमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा0 फतेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–87/2017 2010 /पटना, दिनांकः– 8.7.24

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ०प्र०–1–87/2017 2010 /पटना/दिनांकः– 8.7.24

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर/गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया/शेरघाटी/प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री विनोद कुमार प्रभाकर, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव